

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता), टोंक

क्रमांक :- सहायता/आ.प्र.सहा./2023-24/856

दिनांक :- 01/04/2024

राजस्थान रॉयल्स,
गुणावत सदन शंकरपुरा,
जिन्सी, वार्ड नं0 17, टोंक
मौ0 नं0 9252111622

विषय :- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवा अवधि बढ़ाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 962 दिनांक 01.08.2023 द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही है।

श्रीमान शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ:3(4)आ.प्र. सहा./स्था/2012 जयपुर, दिनांक 16.03.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवायें 01.03.2024 से 28.02.2025 तक बढ़ाई गई है।

इस कार्यालय की सीमित निविदा क्रमांक 944 दिनांक 08.05.2023 द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु की गई निविदा शर्त संख्या 18 के अनुसार आप द्वारा सहमति एवं आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.2024 से नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा 03 माह अधिकतम, जो भी पहले हो, तक पूर्व में जारी की गई निविदा की शर्तों व अनुमोदित दरों के अनुरूप बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुमोदित दरें निम्नानुसार है-

क्र. सं.	फर्म का नाम	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या				EPF दर %	ESI दर %	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि रु.
			श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	राजस्थान रॉयल्स, गुणावत सदन शंकरपुरा, जिन्सी, वार्ड नं0 17, टोंक	कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक मशीन विद मैन	उच्च कुराल	8658	01	8658	1126	281	500	500	11065

- यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंकित शर्तों के अध्याधीन होगी।
- वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी. अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त बढ़ाई गई अवधि को बिना किसी सूचना/कारण के समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अतः आप उपरोक्तानुसार अनुमोदित दरों पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवायें निविदा अंकित शर्तों के अनुसार उपलब्ध करावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सहायक कलेक्टर एवं
प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कलेक्ट्रेट, टोंक

दिनांक :- 01/04/2024

क्रमांक :- सहायता/आ.प्र.सहा./2023-24/857

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला कलेक्ट्रेट, टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

Digitally signed by Anita Kishorek
Designation: Assistant Collector
And Executive Magistrate
Date: 2024.03.31 14:35:14 IST
Reason: Approved

